बीडी उघोग में महिला सशक्तिकरण का मुल्यांकनः अजमेर जिले के विशेष सन्दर्भ में।

EVALUATION OF WOMEN EMPOWERMENT IN BIDI INDUSTRIES : WITH SPECIAL REFERENCE TO AJMER DISTRICT

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

को पीएच.डी. (अर्थशास्त्र) की उपाधि हेतु

प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध की रूपरेखा

शोध निर्देशिकाः

डॉ. रश्मि भार्गव
व्याख्याता
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय
महाविद्यालय, अजमेर

शोधकर्ता

ईश्वर राजोरिया

अर्थशास्त्र विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राज.)

परिचय

बीड़ी बनाने का काम समूचे भारत में फैला हुआ है और इसमें महिलाओं एवं बच्चियाँ बहुतायत से जुड़ी हैं। नीति निर्माताओं एवं प्रशासकों का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। लाखों की संख्या में ग्रामीण और शहरी गरीब महिला कामगार अपना परिवार इससे पालती हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बीड़ी बनाने वाला देश का सबसे बड़ा उद्योग है। जिसमें लगभग 2.5 लाख कामगार काम करते हैं जो कांट्रेक्टर की दया पर जीते हैं और न्यूनतम मजदूरी से भी कम मेहनताना पाते हैं। गरीब परिवारों में भी 75 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो सरकारी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जिनकी आय का प्रमुख स्रोत बड़ी बनाना ही है। हालाँकि इस प्रणाली को गैर कानूनी घोषित किया जा चूका है पर फिर भी अभी तक जारी है। बीड़ी बनाने का कार्य देशभर में फैला हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यों में केन्द्रित है, इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, उडीसा, बिहार, राजस्थान एवं असम में निर्मित कर रहे हैं। त्रिपुरा और दिल्ली में बीड़ी बनाने के काम में अधिकांश ग्रामीण और अर्ध–शहरी में किया जाता है।

बीड़ी का प्रयोग मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है लेकिन इसको बनाने में महिलाओं और बच्चों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लगभग 90 प्रतिशत महिलाएँ इस रोजगार में जुटी हैं जो कांट्रेक्टर द्वारा दिए गए कच्चे माल को घर ले जाती है (या उनके घर माल ठेकेदार द्वारा पहुँचा दिया जाता है) और प्रति दर के हिसाब से कार्य करती हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया सरल है और बहुत कम कौशल की आवश्यकता है अतः कुछ बच्चे एवं अपाहिज लोग भी बीड़ी बनाने का काम करते हैं। सिंगरेट के मुकाबले बीड़ी की बिक्री करीब 8:1 की है अर्थात् प्रत्येक बीड़ी पर 1 सिगरेट की बिक्री होती है।

समस्त कच्चे माल का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। ग्रामीण परिवारों द्वारा इसे पूरक आय के रूप में देखा जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है–

- तेंदू की पत्तियों को धोकर सुखाना और उचित आकार में काटना।
- फिर उन्हीं पत्तियों पर तम्बाकू की अपेक्षित मात्रा फैलाना और उन्हें शंकु का आकार देना। दोनों छोरों को एक तिनिके की सहायता से मोड़कर पतले छोर को धागे से बांधना।
- 25 बीड़ी के बंडलों के बनने उन्हें कांट्रेक्टर को सौंप देना।

कांट्रेक्टर उन्हें फर्म को भेजता है जहाँ वे 24 घंटे के लिए भट्टी में नियत तापमान पर रखी जाती है। भट्टी में से निकाले जाने पर उन्हें हल्के कागज में लपेटा जाता और लेबल लगाया जाता है और फिर फुटकर इकाइयों को भेज दिया जाता है। इस उद्योग में घरेलू व कामगारों के निम्न जीवन स्तर तथा दोषपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही यह उद्योग असंगठित है। इनमें 90 प्रतिशत महिलाएँ हैं। वास्तव में देखा जाए तो औरतों से अधिक लड़कियाँ इस काम में जुटी हुई हैं। अनुमान है कि एक महिला के पीछे 5 लड़कियाँ इस काम में लगी हुई हैं।

बीड़ी बनाने का अधिकांश कार्य घरों पर किया जाता है, जिसे फैक्टरी नहीं कहा जा सकता और न ही निर्माता फर्म एवं कामगारों के बीच मालिक–मजदूर के सम्बन्ध होते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया के अत्यन्त सरल होने एवं समान घर ले जाने की सुविधा ने ही महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बीड़ी निर्माण से जुड़ी महिलाएँ अपना सामान्य घरेलू काम जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना आदि काम भी करती रहती है। यदि इन कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाए तो उसे ये काम करने के बदले भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन गृहणी या घर की किसी महिला सदस्या द्वारा

यदि ये कार्य किये जाते हैं तो उनके काम को आर्थिक कार्यों में नहीं गिना जाता। घरेलू कार्यों के मूल्यांकन का अभाव के परिणमास्वरूप ही घरेलू कार्यों एवं आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यों के बीच महिला श्रमिकों को एकत्रित करने वाल्व विश्लेषण के फैसले को अनदेखा किया गया है।

एक अध्ययन के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 500 रु. से अधिक नहीं है उनमें 86 प्रतिशत आय महिलाओं द्वारा अर्जित की जाती है। इसी प्रकार जिन परिवारों की वार्षिक आय 500 से 750 रु. के बीच होती है उसमें 95 प्रतिशत महिलाओं का योगदान होता है। तत्पश्चात् दो बड़े आय वर्ग 750—1000 रु. व 1000—15000 रु. की वार्षिक आय में महिलाओं का योगदान क्रमशः 79 प्रतिशत व 77 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच रहता है। (स्त्रोत श्रम मंत्रालय भारत सरकार) ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन उत्पादन क्रियाओं से परिवार जुड़े होते हैं, विशेषकर महिला वहाँ यह पाया गया है कि महिलाओं के योगदान में वृद्धि से परिवार की आय में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। पारिवारिक सामाजिक वातावरण में बीड़ी बनाना ही औरतों के लिए आमदनी का एकमात्र जरिया है।

बीड़ी उद्योग में शोषण की प्रवृत्ति

- बीड़ी के व्यवसाय में बीड़ी बनाना, उसके मुठ (पैकेट) बनाना तथा उन पर लेबल चिपकाने का काम शामिल है और इन सभी में कुछ खास तरह का कौशल चाहिए।
- कुछ महिलाऐं 11 से 15 वर्ष की उम्र में इस पेशे में आते हैं उनके हाथ सधने और काम में पूरी रफ्तार आने में करीब तीन साल का समय लगता है।
- बीड़ी उत्पादन की प्रक्रिया और यह उद्योग इस तरह बना हुआ है कि इसके हर चरण में मजदूरों के शोषण की गुंजाइश है।

- 1,000 बीड़ियाँ बनाने के लिए 800 ग्राम तेंदूपत्ता और 350 ग्राम तम्बाकू चाहिए। अक्सर इन दोनों चीजों की तंगी रहती है। अगर माल उपलब्ध भी तो उसके घटिया होने का खतरा रहता है, और उनसे तैयार बीड़ी बेकार हो जाती है। ऐसी बीड़ी जब न खरीदी जाए तो मजदूर मारा जाता है। इस बीड़ी को ठेकेदार निर्माता उनके फेसबुक में दर्ज नहीं करते। फिर माल का तौल कम होने की शिकायत भी आम है और यह बोझ मजदूर के माथे ही आता है।
- कच्चे माल की कमी में घट–बढ़ यह काम न मिलने की स्थिति में मजदूर स्थानीय सूदखोर से बहुत ऊँची दरों पर कर्ज लेते हैं। यह कर्ज ऐसा होता है कि इसे चुकाने में मजदूर और उसके बच्चे नियोक्ता या सूदखोर के बंधुआ बन जाते हैं।
- बीड़ी मजदूरों के संरक्षण और बचाव के लिए चार कानूनों की मौजूदगी के बावजूद उनके प्रावधान ढंग से लागू नहीं हो पाते और मजदूरों के काम की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया है।
- यह काम बहुत ही एकरूपता वाला और उबाऊ है तथा इसमें कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यह काम मुश्किल भी है, क्योंकि मजदूर पलभर के लिए भी नजर नहीं फेर पाता।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

धर्मनगरी के नाम से विख्यात अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इस नगर की स्थापना चौहान वंशी राजा अजयपाल चौहान ने 7वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने अरावली की मेरवाड़ा पहाड़ियों पर अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। 14 सितम्बर, 2013 को अजमेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की गई। जयपुर, जोधपुर के बाद यह राज्य का तीसरा विकास प्राधिकरण होगा।

राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर जिले की उत्तरी सीमा नागौर व जयपुर, पूर्वी सीमा टोंक, दक्षिणी सीमा भीलवाड़ा तथा राजसमंद एवं पश्चिमी सीमा पाली जिसे को स्पर्श करती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार वाला जिला अजमेर ही है। अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 पर स्थित है। रेल मार्गों की दृष्टि से यह जिला दिल्ली–अहमदाबाद से जुड़ा है। यहाँ से दिल्ली, हावड़ा, बंगलौर तथा मुम्बई के लिए सीधी रेल सुविधाएँ उपलब्ध हैं। राज्य का पाँचवाँ हवाई अड्डा अजमेर में प्रस्तावित है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी का उद्गम स्थल अजमेर जिले की नाग पहाड़ियाँ ही हैं। विशप हर्पर ने तारागढ़ (अजमेर) को दूसरा जिब्राल्टर कहा है। यह राज्य का महान् जिला विभाजक है।

स्थिति एवं विस्तारः—मध्य भाग में स्थित अजमेर जिले का विस्तार 25º38´ उत्तरी अक्षांश से 26º58´ उत्तरी अक्षांश तथा 73º54´ पूर्वी देशान्तर से 75º22´ पूर्वी देशान्तर के मध्य है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई करीब 870 मीटर है। वर्षा का औसत 60.18 सेमी. है। 50 सेमी. वर्षा रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्व में जयपुर, पश्चिम में पाली, उत्तर में नागौर तथा दक्षिण में भीलवाड़ा और राजसमंद जिले स्थित है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है।

खनिज सम्पदा—खनिज सम्पदा की दृष्टि से अजमेर राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार तथा क्वार्टज खनिज उत्पादक जिला है। मकरारा, सरवाड़, दौलतपुर व कायमपुर यहाँ के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं।

अधोग—औद्योगिक दृष्टि से अजमेर जिले में किशनगढ़ मार्बल की बड़ी मण्डी है। माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उद्योग स्थापित है। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल ब्यावर में सेठ दामोदर व्यास द्वारा स्थापित की गई थी। परवतपुरा में इंजीनियरिंग, गैस फिलिंग प्लांट, ढलाई, ऑटोमोबाइल्स, सूती वस्त्र, पारले बिस्कुट इकाई स्थापित है। माखूपुरा में बीड़ी उद्योग व अन्य कारखानें हैं। पुष्कर में गुलाब की खेती, पुष्कर का गुलकन्द उद्योग, (चाचियावास) श्रीनगर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, श्री सीमेंट (ब्यावर) तथा जे.के. मार्बल्स (किशनगढ़) महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाईयाँ हैं। अजमेर जिले के किशनगढ़ में बादर सिंदरी में राजस्थान के पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय को प्रारम्भ किया गया।

अजमेर जिले का प्रशासनिक स्वरूप

क्र.सं.	तथ्य	संख्या	नाम
1.	उपखण्ड	12	अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, पीसांगन, सरवाड़ तथा भिनाय, पुष्कर, रूपनगढ़, टाडगढ़
2.	तहसील	16	अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, पीसांगन, सरवाड़ तथा भिनाय, विजयनगर, टांटोटी, सावर, अराई, पुष्कर, टाडगढ़, रूपनगढ़
3.	पंचायत समिति	8	केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, पीसांगन, अराई, भिनाय, जवाजा तथा श्रीनगर
4.	नगर परिषद्	2	ब्यावर, किशनगढ़
5.	नगरपालिका	4	केकड़ी, सरवाड़, विजयनगर, पुष्कर
6.	नगर निगम	1	अजमेर
7.	छावनी बोर्ड	1	नसीराबाद

जिले का मानव संसाधन

तथ्य	जनगणना–2001	जनगणना–2011
जनसंख्या	2181670	2583052
कुल साक्षरता	64.60 प्रतिशत	69.30 प्रतिशत
पुरुष साक्षरता	79.40 प्रतिशत	82.40 प्रतिशत
महिला साक्षरता	48.90 प्रतिशत	55.70 प्रतिशत
लिंगानुपात	931	951
घनत्व	257	305
दशकीय वृद्धि	26.17 प्रतिशत	18.60 प्रतिशत
क्षेत्रफल		8481 वर्ग किमी.

अध्ययन के चुनाव का कारण

बीड़ी उद्योग अजमेर जिले में नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर तथा पश्चिमी क्षेत्र में बहुतायत से किया जाता है। शोधार्थी की पृष्ठभूमि अजमेर होने तथा अजमेर में बीड़ी बनाने का कार्य प्रमुखतयाः कोली समाज द्वारा किया जाता है। शोधार्थी का इस समाज का होना भी एक प्रमुख कारण है तथा इस समाज की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बहुत ही विशाल स्तर पर इस कार्य किया जाता है जिससे इस समाज की स्थिति में काफी बढोतरी आयी है तथा समाज में कार्य करने वाले महिलाओं एवं पुरुषों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस शोध को प्रमुखता दी गयी है। एवं बीडी रोजगार इनकी जिविकोउपार्जन का प्रमुख साधन है।

अध्ययन के उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं –

1. राजस्थान एवं अजमेर की आर्थिक व्यवस्था में बीडी अधोग की भूमिका आंकलन करना।
2. आय सर्जन रोजगार उत्पादन आगत व बिक्री से प्राप्त आगम का आंकलन करना।
3. महिलाओं का इस अधोग में अधिका सहभागिता एवं रूझान के कारणों का आंकलन करना।
4. बाल मजदूरी–शोषण प्रवृतियों क बढतें कारण एवं रोकथाम का विशेष आंकलन।
5. आर्थिक चरों जैसे आय , उत्पादन, उपभोग, रोजगार एवं जीवन स्थर व शिक्षा में संबंध ज्ञात करना।

3. उपलब्ध शोध साहित्य का सर्वेक्षण एवं पुनरावलोकन

किसी भी विषय में शोध प्रारम्भ करने से पूर्व उसके बारे में विविध पक्षों, ऐतिहासिक जानकारी, लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं प्रदत्त सेवाओं तथा वस्तुस्थिति को जानने हेतु सम्बन्धित विषय में पूर्ण सामग्री का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित विद्वानों द्वारा लिखित सामग्री का गहन अध्ययन किया गया है।

अनिल जेराठ ने अपनी पुस्तक **'यंग ड्रग एडिक्ट्स सिक टू ब्रेक फ्री' (1995)** में लेखक ने नशे के विभिन्न रूपों का वर्णन करके नशामुक्ति अभियान की समीक्षा की है। विशेषकर युवाओं में मद्यपान की लत के कारणों, उससे होने वाले नुकसानों तथा नशामुक्ति के विकल्पों का वर्णन किया है।

'रिकवरी फ्रॉम एडिक्शन' (1990) नामक पुस्तक में लेखक **जॉन फ्रिगेन एण्ड डाफेन ग्रे** ने नशीले पदार्थों के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करके सभी प्रकार के नशों से पुनः स्थिति (रिकवरी) प्राप्त करने हेतु उपायों का विस्तृत वर्णन

किया है। इस पुस्तक में नशे की लत वाले व्यक्तियों को किस प्रकार पुनर्वास सेवा देकर समाज में पुनः स्थापित किया जाये इस बात का वर्णन किया गया है। उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं का भी वर्णन किया गया है। यह पुस्तक नशामुक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

एस. एल. गोयल ने अपनी पुस्तक **'हैल्थ केयर एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन : लेवल एण्ड आस्पेक्ट्स' (1980)** में प्रशासन का लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर नियंत्रण का वर्णन किया है तथा इसके कार्यों के स्तर का उल्लेख किया है।

4. परिकल्पना परिक्षण

1. क्या बीडी उधोग से महिला सशक्तिकरण हुआ है ?
2. बीडी उधोग में श्रमिको के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावो का परिक्षण।

अध्ययन पद्धति –

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का होगा। अध्ययन में बीड़ी उद्योग का समाज एवं राज्य तथा जिले की आर्थिक व्यवस्था में प्रभाव का व्यापक एवं तुलनात्मक विश्लेषण किया जायेगा। अतः अध्ययन पुस्तकालय पद्धति एवं सर्वेक्षणात्मक पद्धति पर अधिक केन्द्रित रहेगा। अध्ययन में द्वितीयक एवं प्राथमिक स्रोतों को उपयोग में लाया जाएगा।

विषय विशेषज्ञों व बीडी उद्योग से जुड़े लोगो एवं उनसे सम्बन्धित कारीगरों से साक्षात्कार द्वारा हर संभव बातचीत कर उनके विचारों को अध्ययन के उपयोग में लिया जाएगा। इस शोध कार्य में 2014 से 2018 तक के आंगड़ो का संकल्न किया जायेगा।

अध्याय योजना

अध्याय – 1

परिचयात्मक रूपरेखा – विषय की व्याख्या, स्वरूप, शोधक्षेत्र, शोध के उद्देश्य, शोध पद्धति एवं उपलब्ध साहित्य की समीक्षा।

अध्याय – 2

अध्ययन क्षेत्र अजमेर का ऐतिहासिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक स्वरूपः

अध्याय – 3

राजस्थान में बीड़ी उद्योग

अध्याय –4

अजमेर जिले में बीड़ी उद्योग

अध्याय – 5

बीड़ी उद्योग का समीक्षात्मक अध्ययन (शोधार्थी द्वारा किये गये अवलोकन के आधार पर)

अध्याय – 6

बीड़ी उद्योग का राज्य अर्थव्यवस्था में योगदान

अध्याय – 7

शोध निष्कर्ष, उपसंहार

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत सरकार (2006), ***'स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय'*** भारत में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रतिवेदन', नई दिल्ली.

2. राजस्थान सरकार (2006), सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ***'प्रयास एवं प्रगति : प्रशासनिक प्रतिवेदन',*** जयपुर.

3. जॉन ए. मार्टिन (1990), ***'ब्लिस्ड आर द एडिक्ट्स : स्प्रिचुअल साइड ऑफ एल्कोहॉलिज्म, एडिक्शन एण्ड रिकवरी'***, जर. ऑफ साइक्रेट्री, यू. एस. ए.

4. जेराठ अनिल (1995), ***'यंग ड्रग एडिक्ट्स सिक टू ब्रेक फ्री',*** इण्डि. जर. ऑफ साइक्रेट्री, नई दिल्ली.

5. (1972), ***'ड्रग अब्यूज : करेन्ट कन्सेप्ट एण्ड रिसर्च'***, शोध पत्र, पूर्वी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन, नई दिल्ली.

6. रंगनाथन टी. टी. (1992), ***'एल्कोहॉलिज्म एण्ड ड्रग डिपेन्डेन्सी'***, इण्डि. जर. ऑफ साइक्रेट्री, नई दिल्ली.

7. जैम्स विलिस (1968), ***'ड्रग यूज एण्ड अब्यूज'***, जर. ऑफ साइक्रेट्री न्यूयार्क.

8. जेनिफर गेज (1997), ***'द अल्टीमेट हाई'***, जर. ऑफ साइक्रेट्री, फ्रांस.

9. स्टिफन गोस्कोगन (1975), ***'द प्रेसक्राईब्ड ड्रग गाइड : द हॉलिस्टिक प्रेस्प्रेक्टिव'***, जर. ऑफ साइक्रेट्री, यू. एस. ए.

10. चौहान जी. (2009), ***'भारतीय सामाजिक प्रशासन'***, विश्व भारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.

11. चौधरी धर्मपाल (2002), ***'समाज कल्याण प्रशासन',*** बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना.

12. कटारिया सुरेन्द्र (2002), ***'सामाजिक प्रशासन'***, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर.

13. सचदेवा डी. आर. (2003), ***'भारत में समाज कल्याण प्रशासन'***, कनिष्का पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली.